

**राजस्थान विधान सभा**  
**द्वितीय सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2014**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**अधिसूचनार्यें**

1- श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**(अ) वित्त विभाग**

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-82 दिनांक 3.1.2014 जिसके द्वारा धारा-90-ए के अन्तर्गत नियमितीकरण के पश्चात् जारी लीज डीड पर स्टाम्प इयूटी निर्धारित की गई है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-83 दिनांक 3.1.2014 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा जारी लीज डीड का समयावधि में पंजीयन नहीं होने की स्थिति में स्थानीय निकायों से पुनः वैध व पुनः निष्पादित करवाकर प्रस्तुत करने पर स्टाम्प इयूटी निर्धारित की गई है ;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-84 दिनांक 3.1.2014 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति पर निष्पादित विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प इयूटी निर्धारित की गई है ;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(70)वित्त/कर/12-85 दिनांक 3.1.2014 जिसके द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा या नियमितीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर देय स्टाम्प इयूटी पर छूट प्रदान की गई है ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.2(19)वित्त/कर/2007-86 दिनांक 3.1.2014 जिसके द्वारा अमुद्रांकित, अपंजीकृत इंटरमिडीयरी दस्तावेज पर स्टाम्प इयूटी सशर्त निर्धारित की गई है ;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(101)वित्त/कर/2011-87 दिनांक 9.1.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(101)वित्त/कर/2011-59 दिनांक 13.8.2013 में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 1.10.2013 से प्रभावी होगी ;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)वित्त/कर/2010-88 दिनांक 22.1.2014 जिसके द्वारा मैसर्स हाईटेक प्रसीसन ग्लास लिमिटेड का मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में अमलगमेशन आदेश पर देय स्टाम्प इयूटी की छूट प्रदान की गई है ;

**जारी..2..**

8. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-89 दिनांक 11.2.2014 जिसके द्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-90 दिनांक 11.2.2014 जिसके द्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.2(75)वित्त/कर/12/91 दिनांक 31.3.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(75)वित्त/कर/12-79 दिनांक 21.11.2012 को विखण्डित किया गया है ;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(161)वित्त/कर/09-1 दिनांक 2.6.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक: एफ.12(18)वित्त/कर/07-45 दिनांक 18.8.2008 को अतिष्ठित किया गया है ;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/10-2 दिनांक 2.6.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-24 दिनांक 29.5.2013 एवं अधिसूचना क्रमांक: एफ.2(17)वित्त/कर/10-73 दिनांक 4.10.2013 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/10-3 दिनांक 2.6.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-25 दिनांक 29.5.2013 एवं अधिसूचना क्रमांक: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(94)वित्त/कर/2007-4 दिनांक 13.6.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(34)वित्त/कर/2010-05 दिनांक 13.6.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उप धारा-3 के अन्तर्गत बिटुमिन इमल्सन एवं मांडिफाईड बिटुमिन के विक्रय पर 5 प्रतिशत से अधिक कर को दिनांक 1.4.2014 से 31.7.2014 तक छूट प्रदान की गई है ;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2012-06 दिनांक 20.6.2014 जिसके द्वारा मैसर्स रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा राज्य में प्लाण्ट स्थापित करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)वित्त/कर/2012-07 दिनांक 20.6.2014 जिसके द्वारा मैसर्स बॉश लिमिटेड द्वारा विद्यमान प्लाण्ट के विस्तारीकरण हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2012-08 दिनांक 24.6.2014 जिसके द्वारा मैसर्स जे.सी.बी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा राज्य में प्लाण्ट स्थापित करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-9 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट नियम, 2006 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-10 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;
21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-11 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-12 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा ऐवियेशन टरबाईन ईंधन पर संदेय कर पर निर्धारित शर्तों पर छूट प्रदान की गई है ;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-13 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-14 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V का प्रतिस्थापन किया गया है ;
25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-15 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;
26. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-16 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-37 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
27. अधिसूचना संख्या: एफ. 4(15)वित्त/कर/2014-17 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा कुछ श्रेणी के व्यवहारियों द्वारा कर की एवज में एकमुश्त भुगतान करने के संबंध में धारा-5, सहपठित नियम-5 के तहत अधिसूचना जारी की गई है ;
29. अधिसूचना संख्या: एफ. 4(15)वित्त/कर/2014-19 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत पूर्व में जारी 06 अधिसूचनाओं को वापिस लिया गया है ;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-20 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-46 दिनांक 30.7.2009 को विखण्डित किया गया है ;
31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-21 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत मार्बल ग्रेनाईट पर कर दर निर्धारित की गई है ;
32. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-22 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: एफ.12(22)एफडी/टैक्स/2010-87 दिनांक 9.3.2010 को विखण्डित किया गया है ;
33. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-23 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत कर की एवज में शुल्क जमा कराने पर ठेकेदारों को कर छूट प्रदान की गई है ;
34. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-24 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
35. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-25 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 51-ए के अन्तर्गत आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वेवर के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है ;
36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-26 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा-55-ए अन्तर्गत ब्याज दर निर्धारित की गई है
37. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-27 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-78 दिनांक 31.12.2013 विखण्डित की गई है ;
38. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-28 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
39. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-29 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(99)एफडी/टैक्स/07-66 दिनांक 14.2.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
40. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-30 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-79 दिनांक 31.12.2013 विखण्डित की गई है ;
41. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-31 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है ;

42. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-3(1) के अन्तर्गत कर दर निर्धारित की गई है ;
43. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत वैट के भुगतान किये जाने पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;
44. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-34 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2006-136 दिनांक 8.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
45. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-35 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत पवन चक्कियों के निर्माताओं को कर छूट प्रदान की गई है ;
46. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-36 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-81 दिनांक 31.12.2013 विखण्डित की गई है ;
47. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-37 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान विलासिता कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है ;
48. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-38 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-29 दिनांक 8.7.2009 को अतिष्ठित कर होटलों के कर की दर निर्धारित की गई है ;
49. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-39 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा हैरिटेज होटल, पर्यटन विभाग से अधिस्वीकृत पेंडिंग गेस्ट हाऊस को कर से छूट प्रदान की गई है ;
50. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-40 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा माऊन्ट आबू में ऑफ सीजन के लिये होटल वालों को विलासिता कर में छूट प्रदान की गई है ;
51. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-41 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.10(14)एफडी/टैक्स/97 पार्ट-134 दिनांक 4.12.2004 को अतिष्ठित कर माऊन्ट आबू क्षेत्र को छोड़ ऑफ सीजन के लिये होटलों को विलासिता कर में छूट प्रदान की गई है ;
52. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-42 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-80 दिनांक 31.12.2013 विखण्डित की गई है ;

53. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-43 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
54. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-44 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-149 दिनांक 9.3.2011 विखण्डित की गई है ;
55. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-45 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-121 दिनांक 26.3.2012 में संशोधन किया गया है ;
56. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-46 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2008-88 दिनांक 25.2.2008 को अतिष्ठित कर सिनेमा हॉल या मल्टीप्लैक्स, विडियो गेम पार्लर की कर दर अधिसूचित की गई है ;
57. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-47 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा डीटीएच सेवाओं के लिये कर दर निर्धारित की गई है ;
58. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-48 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कर में छूट प्रदान की गई है ;
59. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-49 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत डवलपर एग्रीमेन्ट पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
60. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-50 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
61. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-51 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत कंपनियों के अमलगमेशन/डीमर्जर/पुनर्गठन के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ;
62. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-52 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत खनन लीजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों में संशोधन किया गया है ;
63. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-53 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत मध्यवर्ती, अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

64. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-54 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत स्थानीय निकायों की भूमि के संबंध में जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
65. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि के नियमन के पश्चात् जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
66. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-56 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत 10 वर्ष तक के किरायेनामे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
67. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-57 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत बहुमंजिला भवनों में 3 वर्ष की अवधि में फ्लेट्स के पुनः विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
68. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-58 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत महिलाओं के पक्ष में निष्पादित कन्वेंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
69. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-59 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत निःशक्तजनों के पक्ष में निष्पादित कन्वेंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
70. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-60 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन में संशोधन के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
71. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;
72. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-62 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (4) के तहत भूमि की दरें पुनः अवधारित की गई हैं ;
73. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-63 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (4) के तहत विभिन्न श्रेणी की भूमियों की बाजार दर पुनर्निधारित की गई है ;

74. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-64 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (1) के खण्ड (सी) के तहत निर्मित भाग की बाजार दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है ;
75. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-65 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (1) के खण्ड (डी) के तहत बहुमंजिला भवनों के तहत भूमि के मूल्यांकन के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ;
76. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-66 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-78 की उपधारा (2) के तहत अचल सम्पत्ति के बेचान का अधिकार देने वाली बिना प्रतिफल की पॉवर ऑफ अटार्नी पर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत व अधिकतम 50 हजार रुपये से घटाकर 1 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है ;
77. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-67 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 (भाग प्रथम) में संशोधन किया गया है ;
78. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./95/1आर दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा दो पहिया यानों और चार पहिया यानों के लिये देय एक बारीय कर की दर निर्धारित की गई है ;
79. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./95/22 सी दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा हल्के माल यान (7.5 टन सकल यान भार तक) मोटर कैब एवं मैक्सी कैब के लिये देय एकमुश्त कर की दरों में संशोधन किया गया है ;
80. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./09/24सी दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा डीजल चालित कारों के लिये देय ग्रीन टैक्स की दरों का निर्धारण किया गया है ;
81. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./95-1 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है ; एवं
82. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./95-2 दिनांक 14.7.2014 जिसके द्वारा हल्के माल यान, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब के लिये देय एकमुश्त कर जमा कराना अनिवार्य किया गया है।



**(ब) आबकारी विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (क्लोजर ऑफ कन्ट्री लीकर शॉप बाई लोकल ऑप्शन) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62)एफडी/एक्सा/96 दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा-71 की उपधारा-2 के अन्तर्गत देशी मदिरा समूह के अनुज्ञाधारियों को मासिक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज रकम की किश्त की पूर्ति में प्रति उठाई जाने वाली देशी मदिरा की मात्रा में 110 प्रतिशत से आधिक्य में जारी की गई देशी मदिरा की मात्रा पर आबकारी शुल्क के 10 प्रतिशत संदाय से छूट प्रदान की गई है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (ग्रांट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (ग्रांट ऑफ रेस्टोरेन्ट, बार लाइसेंसेज) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 7- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 16.5.2014 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (क्लोजर ऑफ कन्ट्री लीकर शॉप बाई लोकल ऑप्शन) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

2- श्री गुलाब चन्द कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंचायी/2014/510 दिनांक 2.6.2014 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्तों को कतिपय शक्तियों प्रदान की गई हैं एवं कार्य निष्पादन हेतु उन्हें अधिकृत किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

3- श्री यूनस खान, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)परि/कर/मु./10/46997-700 दिनांक 28.4.2014 जिसके द्वारा अजमेर आने-जाने वाली अन्य राज्यों की बसों को दिनांक 29.4.2014 से 12.05.2014 तक देय कर की 3500/- रुपये से अधिक कर राशि में छूट प्रदान की गई है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

### 3. याचिकाओं का उपस्थापन

- I- श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
- (1) जोधपुर जिले में विशेषकर विधान सभा क्षेत्र लूणी में बिजली सप्लाई में भारी अनियमितता, ट्रिप होने व ढाणियों में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने के संबंध में ।
  - (2) विधान सभा क्षेत्र लूणी के शहरी क्षेत्र नान्दड़ा कलां, झालामण्ड, सांगरिया पाल, बोरानाड़ा एवं चौखा इत्यादि ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर के शहरी खण्ड के साथ जोड़कर पेयजल व्यवस्था सुव्यवहित करने बाबत।
  - (3) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आवंटन करने व ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से 500 मीटर की परिधि में ग्राम पंचायतों को पट्टा इत्यादि जारी करने का अधिकार देने बाबत।
- II- श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
- (1) जिला उद्योग उपकेन्द्र किशनगढ़ (अजमेर) को क्रमोन्नत कर जिला केन्द्र बनाने बाबत ।
  - (2) राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर) में बड़े डीप फ्रिजर एवं सुविधायुक्त चीरघर हेतु आवश्यक बजट का आवंटन करने बाबत।

### 4. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015

#### प्रथम अवस्था

#### सामान्य वाद-विवाद

राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 पर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

( विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी )

तौफीक हुसैन हाशमी  
उप सचिव (सामान्य)

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 14 जुलाई, 2014